

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर डी.बी. सिविल याचिका संख्या 1408/2023 पूनम सोनी @ पूनम उपाध्याय बनाम राजस्थान राज्य व अन्य तथा सम्बद्ध अन्य याचिकाओं में माननीय न्यायालय द्वारा पारित समेकित अन्तरिम आदेश दिनांक 16.01.2026 की अनुपालना में इस कार्यालय द्वारा प्राचार्य पद हेतु काउन्सलिंग के माध्यम से पदस्थापन के सम्बन्ध में जारी विभागीय आदेश क्रमांक:-शिविरा/माध्य/संस्था/बी1-बी2/प्राचार्य/डीपीसी पदस्थापन /2024-25/ई-9099(6) दिनांक 12.01.2026 को निर्देशानुसार आगामी आदेशों तक स्थगित किया जाता है।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/एबी/बी-2/डी.बी याचिका/पूनम सोनी व अन्य/1408/2025 दिनांक:-यथा हस्ताक्षर प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग एवं पंचायती राज (प्रारम्भिक शिक्षा) विभाग, जयपुर।
3. संयुक्त विधि परामर्शी, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. संयुक्त विधि परामर्शी, कार्यालय हाजा।
5. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक।
6. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जोधपुर/जयपुर।
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
8. प्रभाग बी-2, संस्थापन एबी अनुभाग।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

